

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 709/2023 (धारा 14 शिक्कोरिटाईजेशन)

आईआईएफएल होम फाइनेन्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय डी/46/बी, नम्बर 307 से 312, एम्पीशन
लीवर, मालन का चौराहा, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री रामनिवास काशीगर

पता :- बी-60, प्लॉट नम्बर एफ-1, बजरंग धाम कालवाड रोड, रॉयल सिटी, जयपुर झोंटवाडा,
जयपुर, बालाजी डिपार्टमेन्टल स्टोर, जयपुर।

एवं राजस्थान एक्स सर्विसमेन कार्पोरेशन लिमिटेड, पी-बी, सेक्टर 2, विद्याधर नगर, जयपुर, एस.बी.
बी.जे. ट्रेनिंग सेन्टर के पास, जयपुर।

एवं प्लेट नम्बर एफ-1, प्लॉट नम्बर 60 बी, रॉयल सिटी, माचवा, कालवाड रोड, जयपुर।

2. श्रीमती लीना

पता :- प्लेट नम्बर एफ-1, प्लॉट नम्बर 60 बी, रॉयल सिटी, माचवा, कालवाड रोड, जयपुर

एवं बी-60, प्लॉट नम्बर एफ-1, बजरंग धाम कालवाड रोड, रॉयल सिटी, जयपुर झोंटवाडा,
जयपुर, बालाजी डिपार्टमेन्टल स्टोर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002

श्री प्रदीप राजपुरोहित, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश


दिनांक 26.06.2023

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.05.2022 पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थीया श्रीमती लीना के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नम्बर 60-बी, रॉयल सिटी, ग्राम माचवा, कालवाड रोड, जिला जयपुर पर स्थित प्लेट नम्बर एफ-1, प्रथम तल, क्षेत्रफल 745 वर्गफीट को बन्धक रख कर राशि 12,27,276/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.01.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय व्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर जर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिकारियों को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 23 जून 2010 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 12,27,276/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 12,68,769/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 23.01.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती लीना के स्वामित्व की बन्धक संपत्ति प्लॉट नम्बर 60-बी, सॉयल सिटी, ग्राम माचवा, कालवाड रोड, जिला जयपुर पर स्थित प्लेट नम्बर एफ-1, प्रथम तल, क्षेत्रफल 745 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने आदेश पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल आदेश आज दिनांक 26.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।




५४०
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
आई आई एफ एल होम फाईनेन्स लि. बनाम रामविलास

प्रकरण संख्या 709/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
11.07.2023	<p style="text-align: center;">संशोधित आदेश</p> <p>प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है ।</p> <p>प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता का कथन है कि न्यायालय हाजा में धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऋणी अप्रार्थी संख्या एक का नाम रामविलास कारीगर है, परन्तु धारा 14 सरफेशी एक्ट के आदेश दिनांक 26.06.2023 में रामनिवास कारीगर टंकित हो गया, जिसमें प्रार्थना पत्र अनुसार संशोधित किये जाने के आदेश फरमावें ।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।</p> <p>प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम रामविलास कारीगर है जो आदेश में लिपिकीय त्रुटिवश रामनिवास कारीगर टंकित हो गया । जिसें निम्नानुसार संशोधित किया जाता है ।</p> <p>प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 26.06.2023 में अप्रार्थी संख्या 1 श्री रामनिवास कारीगर के स्थान रामविलास कारीगर पढा जावे । यह संशोधित आदेश पूर्व आदेश दिनांक 26.06.2023 का जुज भाग रहेगा । शेष आदेश यथावत रहेगा ।</p> <p style="text-align: right;"> (प्रकाश राजपुरोहित) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	